संख्या 10/ 2015/ 542 /सत्रह.म.2015 6-9 (267)/2014

प्रेषक

क्षेत्रपाल
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल 2015

विषय - अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक 2405 - मछली पालन – आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष्य वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19 ले0शा0 /वित्तीय स्वीकृति /2015-16 दिनांक 06-04-2015 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 17 लेखाशीर्षक -2405 मछली पालन के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष् में कुल रू0 628762हजार (बासठ करोड सत्तासी लाख बासठ हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है जिसमें से 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान के अन्तर्गत 08- कार्यालय व्यय रू0 500 हजार, 14- मोटर गाडियों का क्रय रू0 5000 हजार, 15- गाडियों का अनुरक्षण और प्रेट्रोल आदि खरीद में रू0 500 हजार तथा 29- अनुरक्षण में रू0 1500 हजार की धनराशि रोकते हुए वित्त आय-व्ययक अनुभाग – 1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या 2/2015 /बी-1 -925/ दस -2015 – 231/ 2015 दिनांक 30 मार्च 2015 में दी गयी शर्तो के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 17 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार रू0 569262 हजार (छप्पन करोड बानबे लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1 उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों /शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त् स्वीकृति धनराशियों का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार से व्यय करने का प्राधिकार नही देता है । व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइन्शियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर प्रचेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा ।

3 शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है । अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में शासन द्वारा समय-समय में जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा

4 उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015 -16 के आय– व्ययक के अनुदान संख्या .17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405.मछली पालन-आयोजनेत्तर, 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान, 109- विस्तार तथा प्रशिक्षण, 800-अन्य व्यय, 03- अनुसंधान –सामान्य, 04- प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना , 05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन, 11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

5 . यह आदेश वित्त आय – व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या – 1685/ दस- 16/ 1992 ,दिनांक 17-07-1992 तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग – 1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या 2/2015 /बी-1 -925/ दस -2015 – 231/ 2015 दिनांक 30 मार्च 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है । स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में उक्त कार्यालय- ज्ञाप में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नाक – यथोपरि ।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संख्या 10/ 2015 /542 (1) / सत्रह- .म.2015 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
5 . वित्त (व्यय – नियत्रण) अनुभाग - 2 /वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग- 1
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनदेश संख्या - 10 / 2015/542/ सत्रह – म- 2015, 6-9 (267) / 2014 दिनांक – 13 अपैल 2015 का संलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2015-16 अनुदान संख्या – 17 लेखाशीषर्क 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति

योजना/ मानक मद (धनराशि रू0 हजार में)

01- निदेशन तथा प्रशासन **03- अधिष्ठान**	प्राविधानित धनराशि वर्ष 2015-16	स्वीकृति धनराशि वर्ष 2015-16
१	२	३
०1-वेतन	40000	40000
०3-मंहगाई भत्ता	48000	48000
०4-यात्रा भत्ता	100	100
०5 -स्थनान्तरण यात्रा व्यय	150	150
०6 -अन्य भत्ते	4000	4000
08-कार्यालय व्यय	500	-
०9 -विधुत देय	800	800
10 -जलकर/जल प्रभार	400	400
11 -लेखन सामग्री/और फार्मो की छपाई	200	200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रम	75	75
13 -टेलीफोन पर व्यय	175	175
14- मोटरगाडियों का क्रय	5000	-
15 -गाडियों का अनुरक्षण/और पेट्रोल आदि की खरीद	1500	1000
17 -किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्तव	1000	1000
19 -विज्ञापन,विक्री और विख्यापन व्यय	3000	3000
29- अनुरक्षण	1500	-
44-प्रशिक्षण	50	50
45-अवकाश यात्रा पर व्यय	10	10
46 -कम्प्युटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	100	100
47 -कम्प्युटर अनुरक्षण/ततसम्बन्धी स्टेशनरीका क्रय	150	150
49 -चिकित्सा व्यय	1500	1500
51 -वर्दी	10	10
योग-०३	108220	100720

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

109 -विस्तार तथा प्रशिक्षण		
03 -मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना		
44 -प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रसांगिक व्यय	1	1
योग-03	1	1
800- अन्य व्यय **03- अनुसंधान सामान्य**		
01 -वेतन	193210	193210
02 -मजदूरी	50	50
03 -मंहगाई भत्ता	231852	231852
04 -यात्रा व्यय	1500	1500
05 -स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200	200
06 -अन्य भत्ते	19321	19321
08 -कार्यालय व्यय	400	400
09 -विधुत देय	3000	3000
10 -जलकर/जल प्रभार	50	50
11-लेखन सामग्री/और फार्मो की छपाई	200	200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रम	100	100
13-टेलीफोन पर व्यय	300	300
15-गाडियों काअनुरक्षण/और पेट्रोल आदि का क्रय	1000	1000
16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300	300
17-किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	1306	1306
18-प्रकाशन	30	30
19 -विज्ञापन/विख्यापन	30	30
29 -अनुरक्षण	100	100
42 -अन्य व्यय	-	-
44-प्रशिक्षण	100	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	50	50
46 -कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	200	200
47 - कम्प्यूटर	150	150

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनु०तत्संबंधी/स्टेशनरी		
49- चिकित्सा व्यय	2500	2500
51 - वर्दी	50	50
योग-मतदेय-03	455999	455999
04 -प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना		
01 -वेतन	4590	4590
03 -मंहगाई भत्ता	5508	5508
04 -यात्रा व्यय	100	100
05 -स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40	40
06 -अन्य भत्ते	449	449
08 -कार्यालय व्यय	40	40
09 -विधुत देय	100	100
11-लेखनसामग्री/और फार्मो की छपाई	30	30
12-कार्यालय फर्नीचर	20	20
13-टेलीफोन पर व्यय	50	50
15-गाडियों का अनुरक्षण/और पेट्रोल आदि का क्रय	200	200
17-किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	150	150
45-अवकाश यात्रा व्यय	25	25
47-कम्प्युटर अनु०/ तत्संबंधी स्टेशनरी क्रय	50	50
49 -चिकित्सा व्यय	300	300
51 -वर्दी	5	5
योग-04	**11657**	**11657**
05 -राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
02 -मजदूरी	20	20
04 -यात्रा भत्ता	50	50
08 -कार्यालय वयय	50	50
09 -विधुत देय	50	50
10 -जल कर /जलप्रभार	50	50
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	50	50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10	10
13-टेलीफोन पर व्यय	20	20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50	50
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	50	50
18-प्रकाशन	10	10
42 -अन्य व्यय	10	10
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	100	100
47-कम्प्युटर अनुरक्षण /ततसंबंधी स्टेशनरी का क्रय	10	10
51 -वर्दी	5	5
योग-05	535	535
11 -प्रयोगशालाओं का सुद्रढीकरण		
39 -औषधि तथा रसायन	350	350
योग-11	**350**	**350**
कुलयोग 800 -अन्य व्यय-मतदेय	**468541**	**468541**
कुल योग-24०5-मछली पालन आयोजनेत्तर –मतदेय	**576762**	**569262**

मतदेय- **(रूपया छप्पन करोड बान्वे लाख बासठ हजार मात्र)**

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।